समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर

निग/2964/II/15

1. भरत सिंह पिता स्व. शिवराज सिंह
2. श्रीराम सिंह पिता स्व. शिवराज सिंह
3. चनद्रभान सिंह पिता स्व. शिवराज सिंह
4. इमरत बाई वेवा स्व. शिवराज सिंह

सभी सा. बांसाकला तह. पथरिया जिला दमोह ..... आवेदकगण

विरूद्ध

लक्ष्मीप्रसाद बल्द चिन्नाई लाल चौरसिया
निवासी बांसाकला तह. पथरिया जिला दमोह ..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता के संशोधन अधिनियम 31दिसम्बर 11 के अनुसार

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार पथरिया जिला दमोह के राजस्व प्रकरण कमांक 26अ/5 वर्ष 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 12.08.15 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है।

1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा वर्ष 1945 में क्रय की गई विवादित भूमि के नामांत्रण हेतु आवेदन विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसमें आवेदकगणों को आहूत किए जाने पर प्रारंभिक आपत्ति इस आधार पर प्रस्तुत की थी कि विवादित भूमि के अंश रकवा 0.06 हे. पर आवेदकगण रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र से क्रय कर विधिवत नामांत्रण उपरांत काबिज चले आ रहे है। इस कारण प्रस्तुत आवेदन आवेदकगणों के कब्जे बाले भूमि के संबंध में निरस्त किया जावे। जिस पर श्रीमान न्यायालय द्वारा श्रवण उपरांत कोई आदेश पारित न कर प्रकरण में अंतिम निराकरण के समय विचार किये जाने हेतु उल्लेख किया है। जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी–2967–दो / 2015 **जिला–दमोह**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–9–2015	आवेदक की ओर से श्री अजय श्रीवास्तव अभिभाषक उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को सुना गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि अनावेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से वर्ष 1945 में कय की गयी थी जिसका नामांतरण आज दिनांक तक नहीं कराया गया । अनावेदक के उक्त नामांतरण के आवेदन के संबंध में तहसील न्यायालय में कार्यवाही में आवेदगण को बुलाया गया जहां पर आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विवादित भूमि के अंश रकवा 0.06 है0 को आवेदक गण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से कय किया गया है जिसका आवेदक गणों का नामांतरण हो चुका है । अनावेदक के नामांतरण प्रकरण से आवेदक के कब्जे बाली भूमि को प्रथक करने का आवेदन प्रस्तुत कर आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष निवेदन किया गया । तहसीलदार द्वारा आपत्ति आवेदनों का निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय करने का जो आदेश दिया है वह निरस्ती योग्य है क्योंकि पहले आपत्ति आवेदनों का निराकरण किया जाना न्यायोचित है । इसके अतिरिक्त वहीं तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमों में अंकित है जिन्हें बिचार में लिया जा रहा है । निगरानी ग्राह्य करने का निवेदन किया गया है । आवेदक अभिभाषक के तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमों में अंकित बिन्दुओ के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक–12.8.15 की प्रमाणित प्रति का अबलोकन किया गया । अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि उभयपक्ष द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि कय की गयी है । विवादित भूमि के नांमांतरण के संबंध में प्रचलित प्रकरण तहसीलदार के न्यायालय में आवेदक की साक्ष्य हेतु नियत है जहां उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त है । उभय पक्ष अपना–अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखें । तहसीलदार के उक्त विवादित आदेश दिनांक–12.8.15 से किसी पक्ष के हित अनुचित रूप से प्रभावित होने की संभावना है ऐसा वर्तमान स्थिति में नहीं कहा जा सकता है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार के आदेश दिनांक–12.8.15 में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ वापिस भेजा जाता है कि तहसीलदार उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के प्रकाश में गुण दोष के आधार पर संहिता में निहित प्रावधानों के प्रकाश में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें । प्रकरण में अंतिम निराकरण	

R.2967/I/15   9 मोह

तीन माह में करना सुनिश्चित करें । उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।

सदस्य.